(73)

# न्यायालय माननीय प्रशासकीय सदस्य राजस्व मण्डल, ग्वालियर

निगरानी-0373/2019/सीहोर/भू.रा.

रिवीजन प्र.क. 136 /2018.

रमेशचन्द्र आत्मज श्री राम गोपाल
निवासी-ग्राम सेमलपानी कदीम, कृषक
महागांव कदीम तहसील नसरूल्लागंज,
जिला--सीहोर

अभिभाषक श्री रमेशचन्द्र स्वयं
द्वारा आज दिनांक 10.4.18
को पेश।
अधीक्षक

...............रिवीजनकर्ता/आवेदक

विरूद्ध

सर्वसाधारण

...................रेस्पाडेंट/अनावेदक

आज दिनांक 24/5/18 को भोपाल आयुक्त कार्या० से प्राप्त

24/5/18

## राजस्व रिवीजन अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता

रिवीजनकर्ता की ओर से सविनय निवेदन हैं :-

विद्वान न्यायालय अपर आयुक्त भोपाल संभाग-भोपाल द्वारा प्रकरण कमांक 271/अपील/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 30.11.2017 जिसके द्वारा उन्होंने न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी नसरूल्लागंज जिला सीहोर द्वारा प्र.क.5/अपील/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 30.11.2011 एवं न्यायालय नायब तहसीलदार के प्र.क. 158/बी-121/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 16.03.2011 को यथावत् स्थिर रखकर अपील निरस्त की जिससे व्यथित एवं विक्षुब्ध होकर सुदृढ़ तथ्यापें एवं ठोस वैधानिक आधारों पर रिवीजन अविलंब सादर समयावधि में पेश है :-

# न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग0 0373/2019/सीहोर/भू0रा0 सीहोर

| स्थान व दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 19-6-19 | आवेदक अधिवक्ता श्री रमेश चन्द्र उपस्थित । उन्हें प्रकरण की ग्राह्यता पर सुना गया । आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया। अपर आयुक्त ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि आवेदक द्वारा उनके समक्ष तथा विचारण न्यायालय में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे यह प्रकट होता हो कि प्रश्नाधीन भूमि का बंटन उसके पक्ष में किया गया था । इस न्यायालय के समक्ष भी भूमि बंटन के संबंध में आवेदक द्वारा कोई दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निर्णयों में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है । परिणामत: यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो ।<br><br>अध्यक्ष | |